

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाबाना दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठारसी अधिकारी :- स्वाति गुप्ता
राजरव वाद संख्या :- 224/2024

1. इन्द्र कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सन्तरी देवी पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. विमला पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. लक्ष्मी पुत्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. दर्शना पुत्री रामसिंह पत्नी अजीत कुमार जाति जाट निवासी सिविल लाईन हनुमानगढ़ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री

दिनांक :- 02.09.2024



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्रपाल वर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री विजय वैनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02.09.2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के जमाबन्दी संवत् 2075 वा 78 के खाता संख्या 77/60 में कुल 6.578 हेक्टर नहरी मय गैर मुमकिन आराजी में से प्रतिवादीया संख्या 2 व प्रतिवादीया संख्या 4 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा आराजी व चक नम्बर 10 एन.जी.सी के खाता संख्या 159/60 में कुल 2.416 हेक्टर आराजी में प्रतिवादीया संख्या 2 व 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा तथा इसी चक नम्बर 10 एन.जी.सी के खाता संख्या 160/65 में कुल 5.389 हेक्टर आराजी में प्रतिवादीया संख्या 2 व 4 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा आराजी के वादीगण संख्या 1 व 2 को ब0हि040 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 11 सी.डी.आर. के खाता संख्या 77/60, चक नम्बर 10 एन.जी.सी के खाता

संख्या 159/66 तथा इसी चक नम्बर 10 एन.जी.सी. के खाता संख्या 160/65 में से प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा गहरी/बाराणी/गरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किरमी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 02.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



(स्वाति गुप्ता)
उपसमूह अधिकारी एवम्
प्रधान सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		